



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.05.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0-135/25 धारा 65(2)/बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीपाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.05.2025 को क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के निकट कुशल मार्गदर्शन में एवं प्र0नि0 गोला के दिशा-निर्देशन में थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 135/2025 धारा 74 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीपाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रामनगर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण:-

वीरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीपाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रामनगर थाना भीरा जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 दिनेश कुमार पाठक थाना गोला
- 2.का0 आशीष कन्नोजिया थाना गोला

थाना निघासन पुलिस द्वारा, दो पशुओं की चोरी की घटना का सफल अनावरण करके 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.05.2025 को क्षेत्राधिकारी निघासन महोदय के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्र0नि0 थाना निघासन के दिशा-निर्देशन में पशु चोरी की घटना में शामिल अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र माखन लाल 2. शंकर पुत्र बहादुर 3. रितेश पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम प्रीतमपुरवा थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी 4.छोटू उर्फ गुड्डू पुत्र रंगीलाल निवासी ग्राम दुलही थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी को ग्राम बिरजापुरवा के पास स्थित नहर से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिनके कब्जे से एक अदद भैस व एक अदद पड़वा की बरामदगी हुई है। नियमानुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गौरतलव है कि दिनांक 29.04.2025 को वादी श्री शारदा प्रसाद पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम/कस्बा नई बस्ती निकट नहर वार्डनं0 04 गांधीनगर थाना/कोतवाली निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के घर से एक अदद भैस व एक अदद पड़वा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0 106/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र माखन लाल 2.शंकर पुत्र बहादुर 3.रितेश पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम प्रीतमपुरवा थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी 4.छोटू उर्फ गुड्डू पुत्र रंगीलाल निवासी ग्राम दुलही थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी का नाम प्रकाश में आया व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- 1.अमित पुत्र माखन लाल
- 2.शंकर पुत्र बहादुर
- 3.रितेश पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम प्रीतमपुरवा थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी
- 4.छोटू उर्फ गुड्डू पुत्र रंगीलाल निवासी ग्राम दुलही थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी का विवरण

एक अदद भैस
एक अदद पड़वा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 उ0नि0 आदित्य कुमार यादव थाना निघासन,
- 2.मुख्य आरक्षी आदेश त्रिवेदी थाना निघासन,
- 3.आरक्षी लवकुश यादव थाना निघासन,
- 4.आरक्षी प्रशान्त तेवतिया थाना निघासन

थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0-271/25 धारा- 87/137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त लवकुश पुत्र उत्तम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.05.2025 को क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के निकट कुशल मार्गदर्शन में एवं प्र0नि0 गोला के दिशा-निर्देशन में थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-271/25 धारा- 87/137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त लवकुश पुत्र उत्तम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मनजती कस्बा व थाना गोला जला खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण:-

लवकुश पुत्र उत्तम उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मनजती कस्बा व थाना गोला जला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.नि0 निर्मल कुमार तिवारी थाना गोला
- 2.का0 विनय कुमार थाना गोला

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 210 लीटर यूरिया अपमिश्रित कच्ची नाजायज शराब, एक किलो 800 ग्राम यूरिया खाद, शराब बनाने के उपकरण तथा मोटरसाईकिल बरामद करके 04 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.05.2025 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम ककराही थाना मैलानी जिला खीरी उम्र करीब 27 वर्ष 2.कमल सिंह पुत्र केवल सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सुआवोझ कालोनी थाना मैलानी जिला खीरी 3.सोनू पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम सुआवोझ कालोनी थाना मैलानी जिला खीरी 4.जमुना प्रसाद पुत्र स्व0 शंकरलाल उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सरईया नवेदिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से 210 ली0 यूरिया अपमिश्रित कच्ची नाजायज शराब व यूरिया खाद एक किलो आठ सौ ग्राम, शराब बनाने के उपकरण व एक अदद हीरो मोटर साइकिल बरामद किया गया। मौके पर 600 ली0 लहन को नष्ट किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय परमु0अ0स0 175/2025 धारा 60(2)आबकारी अधि0 व 274 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम ककराही थाना मैलानी जिला खीरी उम्र करीब 27 वर्ष
- 2.कमल सिंह पुत्र केवल सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम सुआवोझ कालोनी थाना मैलानी जिला खीरी
- 3.सोनू पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम सुआवोझ कालोनी थाना मैलानी जिला खीरी
- 4.जमुना प्रसाद पुत्र स्व0 शंकरलाल उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम सरईया नवेदिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर

अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 1166/09 धारा 379/411 भादवि व धारा 26/41/42/77 फारेस्ट एक्ट थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 2.मु0अ0स0 95/19 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 3.मु0अ0स0 426/19 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 4.मु0अ0स0 434/20 धारा 60आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 5.मु0अ0स0 202/21 धारा 60आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 6.मु0अ0स0 351/22 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 7.मु0अ0स0 536/22 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 8.मु0अ0स0 375/23 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 9.मु0अ0स0 453/23 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 10.मु0अ0स0 94/24 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 11.मु0अ0स0 189/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 12.मु0अ0स0 289/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 13.मु0अ0स0 298/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।

अभियुक्त कमल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0स0 679/2010 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।

- 2.मु0अ0स0 777/2010 धारा 110 गुण्डागर्दी अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 3.मु0अ0स0 122/2019 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 4.मु0अ0स0 191/2019 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।

अभियुक्त सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0स0 86/17 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 2.मु0अ0स0 132/20 धारा 60(2) आब0 अधिनियम व धारा 272 भादवि थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 3.मु0अ0स0 494/21 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 4.मु0अ0स0 148/22 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 5.मु0अ0स0 158/20 धारा 60(2) आब0 अधिनियम व धारा 272 भादवि थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 6.मु0अ0स0 311/23 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 7.मु0अ0स0 89/24 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना मैलानी जनपद खीरी ।

अभियुक्त जुमुना प्रसाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0स0 542/12 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना खुटार जनपद खीरी।
- 2.मु0अ0स0 23/15 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना खुटार जनपद खीरी।
- 3.मु0अ0स0 1219/17 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना खुटार जनपद खीरी।
- 4.मु0अ0स0 107/20 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना खुटार जनपद खीरी।
- 5.मु0अ0स0 372/20 धारा 60 आब0 अधिनियम थाना खुटार जनपद खीरी।

बरामदगी

03 प्लास्टिक के कट्टो मे करीब 150 लीटर व 3 प्लास्टिक की पिपियो मे करीब 60 ली0 कुल 210 ली0 यूरिया अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब , 1 किलो 800 ग्राम यूरिया खाद , शराब बनाने के उपकरण 02 अदद पत्तीली, दो अदद पाईप सफेद, दो अदद ड्रम, एक अदद मोटरसाईकिल हीरो चेचिस न0 MBLHAW220PHL61953

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 प्रेमचन्द थाना मैलानी जनपद खीरी
- 2.उ0नि0 मोहित पुण्डीर थाना मैलानी जनपद खीरी
- 3.हे0का0 जुल्फिकार अली थाना मैलानी जनपद खीरी
- 4.का0 अरुण कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी
- 5.का0 दीपक चन्द्रा थाना मैलानी जनपद खीरी
- 6.का0शिवओम थाना मैलानी जनपद खीरी
- 7.का0 दिनेश कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी
- 8.का0 पंकज तिवारी थाना मैलानी जनपद खीरी

थाना गोला पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0-278/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.05.2025 को क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के निकट कुशल मार्गदर्शन में एवं प्र0नि0 गोला के दिशा-निर्देशन में थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-278/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण 1.छोटे उर्फ दरोगा पुत्र लल्लू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम भुडवारा थाना गोला जिला खीरी को मण्डी गेट कस्बा गोला के पास से तथा 2. नफीस पुत्र फिद्दा उम्र करीब 35 निवासी ग्राम भुडवारा थाना गोला जिला खीरी को कुटी मोड भुडवारा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण

- 1.छोटे उर्फ दरोगा पुत्र लल्लू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम भुडवारा थाना गोला जिला खीरी
- 2.नफीस पुत्र फिद्दा उम्र करीब 35 निवासी ग्राम भुडवारा थाना गोला जिला खीरी

आपराधिक इतिहास –(छोटे उर्फ दरोगा)

- 1.मु0अ0सं0-0046/2025 धारा 3/05A/08 गौ वध निवारण व 11(1) पशु क्रूरता नि0अधि0 थाना गोला खीरी
- 2.मु0अ0सं0 -0051/2025 धारा 8/21 NDPS ACT थाना गोला खीरी
- 3.मु0अ0सं0-301/2012 धारा 3/05/08 गौ वध निवारण अधि0 थाना गोला खीरी
- 4.मु0अ0सं0-932/2012 धारा 3/05A/08 गौ वध निवारण व 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 थाना गोला खीरी
- 5.मु0अ0सं0-942/2012 धारा 3/05/08 गौ वध निवारण व 307 भा0द0वि0 थाना गोला खीरी
- 6.मु0अ0सं0-942/2012 धारा 3/05/08 गौ वध निवारण व 307 भा0द0वि0 थाना गोला खीरी
- 7.मु0अ0सं0-1064/2012 धारा 110(G) थाना गोला खीरी
- 8.मु0अ0सं0-1331 /2012 धारा 3/05A/08 गौ वध निवारण व 147,148,149 व 307 भा0द0वि0 नि0अधि0 थाना गोला खीरी

आपराधिक इतिहास (नफीस पुत्र फिद्दा)

- 1.मु0अ0सं0-302/2016 धारा 3/05/08 गौ वध निवारण व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना गोला खीरी
- 2.मु0अ0सं0 0577/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला खीरी
- 3.मु0अ0सं0 435/2017 धारा 419,420 आईपीसी थाना मोहम्मदी खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 मो अनीस थाना गोला
- 2.उ0नि0 ज्ञान प्रकाश मिश्रा थाना गोला
- 3.का0 ओमअसीम यादव थाना गोला
- 4.का0 जीशान थाना गोला
- 5.का0 बृजेश कुमार थाना गोला

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त सहीम उर्फ कालिया पुत्र रहीस को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 01.05.2025 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त सहीम उर्फ कालिया पुत्र रहीस निवासी मोहल्ला जलीलनगर कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी को सिमराजानी मोड के पास बरबर जाने वाले मार्ग पर वहद कस्बा बरबर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा(अध्धी) देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त सहीम उर्फ कालिया उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 173/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम विवरण -

1.सहीम उर्फ कालिया पुत्र रहीस निवासी मोहल्ला जलीलनगर कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी ।

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमंचा (अध्धी) देशी 315 बोर

एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त सहीम उर्फ कालिया उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 503/2020 धारा 363 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी

2.मु0अ0सं0 377/2018 धारा 8/21 NDPS ACT थाना पसगवां जनपद खीरी

3.मु0अ0सं0 424/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मैगलगंज जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 सुरेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी

2.हे0का0 फिरोज खान थाना पसगवां जनपद खीरी

3.हो0गा0 रामनाथ थाना पसगवां जनपद खीरी

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0-362/25 धारा 191(2)/190 बीएनएस में वांछित 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.05.2025 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-362/25 धारा 191(2)/190 बीएनएस में वांछित 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.प्रख्याति खरे पत्नी पिंकू सक्सेना नि0 मेला मैदान थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी
- 2-रत्नो दीक्षित पत्नी राजेन्द्र प्रसाद दीक्षित नि0 सैदापुर भाऊ थाना फरधान जनपद खीरी
- 3-मंजू देवी पत्नी राजू विश्वकर्मा नि0 शिवकॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी
- 4-आरती जनवार पत्नी स्व0 जनमेश्वर सिंह जनवार नि0 मोहल्ला राजगढ़ कॉलोनी थाना कोतवाली सदर खीरी
- 5-रमन मनार पुत्र अप मनार नि0 जटपुरवा थाना शारदानगर जनपद खीरी
- 6-संदीप कुमार वर्मा पुत्र राम लाल वर्मा नि0 रामनगर कॉली थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी
- 7-सुधाकर लाला पुत्र धर्मेन्द्र नि0 टीचर्स कॉलोनी ऑयल थाना व जनपद खीरी

वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

1. थाना संपूर्णनगर पुलिस द्वारा, अ0सं0 363/04 धारा 147/148/323/506 भादवि से संबंधित वारंटी अमीन पुत्र बलीराम निवासी शांतीनगर घोला थाना संपूर्णनगर जनपद खीरी एवं अ0सं0 213/21 धारा 413/419/420 भादवि से संबंधित वारंटी प्रेमकुमार उर्फ मलिक पुत्र खेमू उर्फ अरविन्द निवासी मुरारखेड़ा थाना संपूर्णनगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 260 लीटर अवैध शराब बरामद कर 06 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **260 लीटर** अवैध कच्ची शराब व 01 अदद शराब भट्टी बरामद कर **06 नफर** अभियुक्त को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किया गया।